



नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फोन नं. नम्बर- 0141-2742054

ई-मेल:- dcudt.jmc@gmail.com

क्रमांक:- एफ-6 () उपा.राज.(प्रथम)/होर्डिंग/ननिज/2025/111

दिनांक:- 18/08/2025

ई-ऑक्शन (होर्डिंग) विज्ञापित सं. 47/2025-2026

नगर निगम ग्रेटर जयपुर के क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन के लिए विभिन्न विज्ञापन साइटों का ई-ऑक्शन निम्नानुसार किया जाना है :-

क्र.सं.	विज्ञापन का नाम	संख्या	ई-ऑक्शन दिनांक	समयावधि
1.	- कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) - ब्लॉक-F पूर्व हवामहल पूर्व जोन - निर्मित डिजिटल यूनिपोल (समूह में) - जे.एल.एन. मार्ग -8 साइट्स - रामबाग सर्किल - 3 साइट्स - एम.आई.रोड -3 साइट्स	01 जोन कियोस्क बोर्ड 14 डिजिटल यूनिपोल	09.09.2025	विज्ञापन साइटों की नीलामी ई-ऑक्शन हेतु निर्धारित दिनांक को प्रातः 11.00 बजे से 5.30 बजे तक होगी किन्तु अंतिम 5 मिनट में संवेदक/फर्म द्वारा बोली दिये जाने पर ई-नीलामी की समयावधि में प्रत्येक बार स्वतः ही 15 मिनट की वृद्धि हो जायेगी जिसकी अधिकतम समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।
2.	- टोंक रोड़ पर गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभे (खंभों पर समूह में 8'x4' साईज के 30 खंभे) - निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संधारण - गुप A -5 साइट्स - गुप- B -6 साइट्स - गुप-D-3 साइट्स	30 खंभे 14	10.09.2025	
3.	- निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) 6-गैन्ट्री - निर्मित बसशैल्टर्स साईटें (समूह में) - एम.आई.रोड -4 साइट्स - जे.एल.एन मार्ग -15 साइट्स	06 19	11.09.2025	
4.	- विद्याधर नगर जोन, सांगानेर जोन, मानसरोवर जोन, जगतपुरा जोन एवं मुरलीपुरा जोन यूनिपोल - यूनिपोल साईज 16'x8'-3 साइट - यूनिपोल साईज 30'x15'-8 साइट	11	15.09.2025	
5.	- मालवीय नगर जोन यूनिपोल - यूनिपोल साईज 16'x8'-3 साइट - यूनिपोल साईज 0'x15'-8 साइट	11	16.09.2025	
6.	- मालवीय नगर जोन यूनिपोल - यूनिपोल साईज 16'x8' - 6 साइट - यूनिपोल साईज 30'x15' - 4 साइट	10	17.09.2025	
7.	- नये बैकलिट टॉवर साईटें - जेडीए चौराहा, बिड़ला मंदिर के पास आईलैंड पर। - टोंक रोड़, बी-2 बाईपास चौराहा। - एस.एफ.एस. चौराहा, मानसरोवर। - न्यू सांगानेर रोड़, विजयपथ चौराहा। - अजमेर रोड़ 200 फीट बाईपास के पहले। - जवाहर नगर बाईपास, शांति-पथ तिराहे	9	18.09.2025	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:12:55 IST

Reason: Approved



	के पास। 7. टोंक रोड़, दुग्गड़ गार्डन के बाहर। 8. विद्याधर नगर में रेड क्रॉस मॉल के पास आईलैण्ड पर। 9. जगतपुरा रेलवे लाईन पुलिया के पास, बी-1 प्लाजा के आईलैण्ड पर।		13	
	• पुराने निर्मित बैकलिट टॉवर साईटे 1. जे.एल.एन. मार्ग- 5 साईट 2. जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट-2 साईट 3. टोंक रोड़- 1 साईट 4. भवानी सिंह मार्ग- 1 साईट 5. हवा सड़क- 1 साईट 6. क्वींस रोड़ - 1 साईट 7. विद्याधर नगर सेंट्रल स्पाइन- 2 साईट			

महत्वपूर्ण निर्देश बिन्दु:-

1. उक्त ई-ऑक्शन कार्यक्रम, शर्तें, अमानता राशि, भागीदारी राशि तथा ई-नीलामी बिजनेस रूल्स आदि की जानकारी हेतु नीलामी वेबसाईट www.jaipurmc.org में (E-Auction) पर देखी जा सकती है।
2. उक्त साईट पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इच्छुक फर्म/व्यक्ति निर्धारित पंजीयन शुल्क राशि 1,000/- (एक हजार रुपये) जमा करवाकर, पंजीयन करवाकर ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
3. अमानता राशि दिनांक 08.09.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक जमा की जावेगी।
4. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या/अथवा जानकारी हेतु एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के दूरभाष नं. 8875403031, 6377142055 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(अशोक कुमार शर्मा)
 उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
 नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि दो राज्य स्तरीय एवं दो राष्ट्रीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों के आगामी अंक में विज्ञप्ति प्रकाशन करवाकर एक प्रति शाखा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। समय पर विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं होने पर यदि ऑक्शन निरस्त होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (राजस्व-प्रथम)
 नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
 Designation : Deputy Commissioner
 Date: 2025.08.14 18:12:55 IST
 Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगाने वाले छोटे बोर्ड)

अगस्त 2025

ई-ऑक्शन सूची

क्र.सं.	जोन का नाम	नीलामी शुरूआती बोली
1	ब्लॉक-F (पूर्व हवामहल पूर्व जोन)	15,50,340 / -रु.

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

14 निर्मित डिजिटल यूनिपोल (समूह में)

अगस्त 2025

ई-ऑक्शन सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण	नीलामी शुरुआती बोली
1	जे.एल.एन. मार्ग, क्लार्क होटल के बाहर।	1,53,74,260 / - रु.
2	जे.एल.एन. मार्ग, ओ.टी.एस. सर्किल बिड़ला मंदिर देखता हुआ।	
3	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान कॉलेज के बाहर।	
4	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर।	
5	जे.एल.एन. मार्ग, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास।	
6	जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मंदिर सर्किल।	
7	जे.एल.एन. मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल।	
8	जे.एल.एन. मार्ग, सूचना केन्द्र देखता हुआ।	
9	एम.आई.रोड़, सरावगी मेशन के सामने।	
10	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज।	
11	रामबाग सर्किल, टोंक रोड़ कार्नेर।	
12	रामबाग सर्किल, सुबोध कॉलेज के पास।	
13	एम.आई.रोड़, अजमेरी गेट।	
14	एम.आई.रोड़, न्यू गेट।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

टोंक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभे
(खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 खंभे)

अगस्त 2025, ग्रेटर
ई-ऑक्शन सूची, (अपडेट)

क्र.सं.	जोन का नाम	साईज	स्थान का विवरण	नीलामी शुरुआती बोली
1	MNZ	8'x4' की 30 खंभे	टोंक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभे।	24,21,210/- रुपये

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित सुलभ शौचालय

अगस्त 2025

ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली राशि
	सुलभ शौचालय साइट्स (ग्रुप - ए)	5,50,000 / - रुपये
1	चित्रकूट स्टेडियम।	
2	लालकोठी नगर निगम के पास।	
3	रोज गार्डन, मानसरोवर टैगोर अस्पताल के पास।	
4	अजमेरी गेट यादगार के सामने।	
5	नारायण सिंह सर्किल।	
क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली राशि
	सुलभ शौचालय साइट्स (ग्रुप - बी)	12,50,000 / - रुपये
1	मालवीय नगर, सत्कार मार्केट।	
2	मालवीय नगर सेक्टर -3।	
3	सूचना केन्द्र के सामने।	
4	गांधी नगर रेलवे स्टेशन के सामने।	
5	एम्बुलेंस स्टेण्ड के पास अलबर्ट हॉल के पिछे।	
6	गौरव-टॉवर, जयपुर।	
क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली राशि
	सुलभ शौचालय साइट्स (ग्रुप - डी)	7,70,658 / - रुपये
1	खातीपुरा तिराहे के पास।	
2	जोशी मार्ग 31 नं. बस स्टेण्ड के पास, कालवाड़ रोड़।	
3	स्वर्ण जयंती पार्क पुराना विद्याधर नगर बस स्टेण्ड।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री)

अगस्त 2025

ई-ऑक्शन-सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	सीकर रोड़, भवानी निकेतन के सामने।	12,13,905
2	सीकर रोड़, खेतान हॉस्पिटल के सामने।	10,54,200
3	रिद्धी-सिद्धी जेडीए मार्केट के सामने, मानसरोवर।	15,05,700
4	सहकार मार्ग, परिवहन कार्यालय के पास।	12,36,499
5	झोटवाड़ा पुलिया थाने की तरफ, झोटवाड़ा।	11,18,439
6	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मुक बधिर विद्यालय के पास।	36,32,686

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बसशैल्टर्स (रोड़ वाईज समूह में)

अगस्त 2025, ग्रेटर

ई-ऑक्शन सूची, (अपडेट)

क्र. सं.	स्थान का विवरण	नीलामी शुरुआती बोली
	<u>एम.आई.रोड़</u>	
1.	एम. आई. रोड़, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के बाहर एम.आई. रोड़।	20,49,664 / – रु.
2.	एम. आई. रोड़, रामनिवास बाग गेट के पास, एमआई रोड़।	
3.	एम. आई. रोड़, न्यू गेट रामलीला मैदान के बाहर।	
4.	एम. आई. रोड़, गोलछा स्क्वायर के पास एम.आई.रोड़।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बसशैल्टर्स (रोड वाईज समूह में)

अगस्त 2025

ई-ऑक्शन सूची

क्र. सं.	स्थान का विवरण	नीलामी शुरुआती बोली
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बांगड़ अस्पताल के बाहर।	78,68,452 / -रु.
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.के.लोन हॉस्पिटल के बाहर।	
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, उनियारा गार्डन के बाहर।	
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए के पास टाउन प्लानिंग के पास।	
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी के सामने।	
6.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉनोडिया कॉलेज के बाहर।	
7.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने।	
8.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर कला केन्द्र के बाहर।	
9.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर।	
10.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के सामने।	
11.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे से 50 मी. दूर, मालवीय नगर की ओर MNIT के बाहर।	
12.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पेट्रोल पम्प के पास एमएनआईटी के सामने।	
13.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस डेयरी के सामने।	
14.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड के पास।	
15.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड के सामने।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation: Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved

यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन अगस्त 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (विद्याधर नगर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	VDZ-18	VDZ-10	16x8	विद्याधर नगर फन सिनेमा वाली रोड़ पर दानाशिवम हॉस्पिटल के पास।	11,56,785
2	VDZ-60	VDZ-16	30x15	खातीपुरा रोड़, आरओबी के दक्षिणी- पश्चिमी ओर रॉयल कॉलोनाईजर की दीवार के पास।	29,20,884

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved

यूनिपोल साईट
सांगानेर जोन अगस्त 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (सांगानेर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	SNZ-58	SNZ-10	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास।	18,04,836
2	SNZ-57	SNZ-11	30x15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास आरोबी के पूर्वी ओर आरोबी रेलवे लाईन के पास बने प्लॉट नं. A-1 के पास।	21,29,600

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 18:14:30 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
मानसरोवर जोन अगस्त 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मानसरोवर जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	MSZ-57	MSZ-02	30x15	गोपालपुरा आरोबी के पास, आरोबी के दक्षिण और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास, उत्तरी और गोपालपुरा देखते हुये।	37,13,769
2	MSZ-68	MSZ-04	30x15	गोपालपुरा बाईपास, आरओबी के उत्तरी- पश्चिमी ओर।	41,27,990
3	MSZ-06	MSZ-08	30x15	गोपालपुरा बाईपास रोड, रिद्धी-सिद्धी तिराहे के पास दक्षिणी ओर आरोबी देखते हुये।	26,72,648
4	MSZ-50	MSZ-16	30x15	महारानी फार्म गायत्री नगर जाने वाली रोड के सामने फुटपाथ पर।	24,20,143

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 18:14:30 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
जगतपुरा जोन अगस्त 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (जगतपुरा जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरूआती बोली
1	MDZ-87	JPZ -02	30x15	जगतपुरा आरओबी के पास, रेलवे प्लैट के सामने, निर्माणाधीन मंगलम बाजार के कोने पर जगतपुरा देखते हुये पश्चिम की ओर।	27,01,100

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 18:14:30 IST
Reason: Approved

यूनिपोल साईट
मुरलीपुरा जोन अगस्त 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मुरलीपुरा जोन)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	VDZ-64	MPZ-01	16'x8'	सीकर रोड़, चौमूं पुलिया, भवानी निकेतन स्कूल के कोने के पास।	9,29,644
2	—	MPZ-32	16'x8'	चौमूं पुलिया के पास।	9,29,644 (NEW SITE)

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma

Designation: Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved

यूनिपोल साईट
मालवीय नगर जोन अगस्त 2025
ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

क्र. सं.	साईट संख्या (पुरानी)	साईट सं. नई (मालवीय नगर)	साईज	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	MDZ-76	MNZ-17	30x15	गांधीनगर स्टेशन रोड, आरओबी से पूर्व की ओर रेलवे कम्पाउन्ड की दीवार के पास, अजमेरी गेट देखते हुये।	30,17,619
2	MDZ-83	MNZ-19	30x15	जे.एल.एन. रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट के पास बने सुलभ शौचालय के पास शहीद स्मारक देखते हुए।	30,11,254
3	MDZ-81	MNZ-24	30x15	जे.एल.एन.मार्ग, राजस्थान कॉलेज के पास फुटपाथ पर।	42,21,146
4	MDZ-57	MNZ-26	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे के पास, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर।	44,28,920
5	MDZ-85	MNZ-27	30x15	जे.एल.एन.मार्ग, मालवीय नगर पुलिस से पहले, एम.एन.आई.टी दीवार के पास।	44,14,828
6	MDZ-59	MNZ-28	16x8	जे.एल.एन.मार्ग पर WTP के सामने जवाहर सर्किल से आने वाले रास्ते पर जयपुरिया हॉस्पिटल के तिराहे से पहले फुटपाथ पर।	23,26,479
7	MDZ-71	MNZ-29	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास, एम.एन.आई.टी देखते हुये।	34,32,092
8	MDZ-72	MNZ-30	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी, से पश्चिम की ओर रेलवे दीवार के पास, सरस डेयरी देखते हुये।	37,47,249
9	MSZ-55	MNZ-31	30x15	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर आरओबी दक्षिण-पूर्व की ओर रेलवे दीवार के पास जवाहर सर्किल देखते हुये।	58,59,150
10	MDZ-32	MNZ-42	16x8	मालवीय नगर, अपेक्स सर्किल के उत्तरी - पश्चिमी कोने पर कैलगिरी की ओर से, वि.प.न.1।	12,08,880
✓ 11	MSZ-70	MNZ-46	16x8	मालवीय नगर क्रिस्टल कोर्ट मॉल के सामने सीटी सेंटर के गेट के पास।	16,65,360
12	MDZ-40	MNZ-47	30x15	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल के पास संजय कच्ची बस्ती ओर जाने वाले रास्ते के कोने पर।	23,30,380
13	CLZ- 07	MNZ-48	16x8	सहकार मार्ग लक्ष्मी मंदिर के आगे, होटल जयपुर पैलेस के सामने, गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर, टॉक रोड देखते हुये।	13,31,110
14	CLZ- 101	MNZ-51	30x15	22 गोदाम, आरओबी के पास, आरओबी के दक्षिणी ओर पश्चिमी कोने पर।	106,110
15	MDZ-65	MNZ-60	16x8	एम.एन.आई.टी के पास।	23,26,479

Signature valid

Ashok Kumar

Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved

				रामनिवास बाग के गेट के पीछे, पश्चिमी ओर बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
16.	MDZ-64	MNZ-61	16x8	एम.आई.रोड़, रंगमंच के गेट के सामने, रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर।	21,18,487
17	MSZ-58	MNZ-62	30x15	हिम्मत नगर, आरओबी के पास।	27,26,553
18	MSZ-77	MNZ-63	16x8	टोंक रोड़ गोपालपुरा ओवरब्रिज के पश्चिम की ओर ओवरब्रिज देखते हुए फुटपाथ पर।	18,55,513
19	MDZ-106	MNZ-69	30x15	बजाज नगर रोड़ खादी ग्रामोद्योग संस्था के बाहर फुटपाथ पर टोंक पुलिया आरओबी देखते हुए।	25,14,886
20	—	MNZ-86	16'x8'	रामनिवास गार्डन के गेट (दक्षिण द्वार)।	13,32,810
21	—	MNZ-87	16'x8'	सहकार मार्ग पर, लालकोठी सब्जी मंडी।	13,64,275

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation: Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
नये बैकलिट टॉवर साईट्स (समूह में)

अगस्त 2025

ई-ऑक्शन सूची (अपडेट), ग्रेटर

बैकलिट टॉवर साईट्स

न्यूनतम शुरूआती बोली राशि 18,90,000 रु.

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जेडीए चौराहा, बिड़ला मंदिर के पास आईलैंड पर।
2	टोंक रोड़, बी-2 बाईपास चौराहा।
3	एस.एफ.एस. चौराहा, मानसरोवर।
4	न्यू सांगानेर रोड़, विजयपथ चौराहा।
5	अजमेर रोड़ 200 फीट बाईपास के पहले।
6	जवाहर नगर बाईपास, शांति-पथ तिराहे के पास।
7	टोंक रोड़, दुग्गड़ गार्डन के बाहर।
8	विद्याधर नगर में रेड क्रॉस मॉल के पास आईलैंड पर।
9	जगतपुरा रेलवे लाईन पुलिया के पास, बी-1 प्लाजा के आईलैंड पर।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma

Designation: Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

13 निर्मित बैकलिट टॉवर 6 मीटर (समूह में)

अगस्त 2025 (अपडेट)

ई-ऑक्शन सूची, ग्रेटर

क्र.सं.	स्थान का विवरण	न्यूनतम शुरुआती बोली
1	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—जवाहर सर्किल।	(48,19,500 / — रूप यें)
2	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—ओ.टी.एस सर्किल।	
3	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—जवाहर कला केंद्र।	
4	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—गौरव टॉवर।	
5	जवाहर लाल नेहरू मार्ग—गणेश मंदिर चौराहा।	
6	भवानी सिंह मार्ग—एस.एम.एस स्टेडियम के बाहर।	
7	टोंक रोड़, नेहरू पैलेस।	
8	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच।	
9	जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट के बीच।	
10	क्वींस रोड़ गांधी पथ।	
11	विधाधर नगर सेन्ट्रल स्पाईन, आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने।	
12	विधाधर नगर सेन्ट्रल, टाइम स्क्वायर के सामने।	
13	हवा सड़क गीजगढ टॉवर के पास।	

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
Sharma

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:14:30 IST

Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी शर्तें : अगस्त 2025

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर अपने सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री)/यूनिपोल (30'x15') (16'x8')/निर्मित सुलभ शौचालय/निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर/नये ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर/निर्मित बसशैल्टर्स/निर्मित डिजिटल यूनिपोल/कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड)/टॉक रोड़ गोपालपुरा के नीचे चौराहे के आस-पास के फ्लाईओवर के खंभों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने हेतु ई-नीलामी निविदा आमंत्रित करता है। ई-नीलामी में लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	ई-ऑक्शन संबंधी विज्ञापन साईट विवरण	विज्ञापन साईट की साईज	विज्ञापन की संख्या	उक्त ई-ऑक्शन हेतु विज्ञापन साईटों में 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि करते हुए	विशेष विवरण
1	यूनिपोल	30'x15'	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	
2	यूनिपोल	16'x8'	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	
3	निर्मित डिजिटल यूनिपोल	14'x7'	14 (समूह में)	1,53,74,260	
4	निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर	6 मीटर	13 (समूह में)	48,19,500	
5	नये ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर	6 मीटर	9 (समूह में)	18,90,000	
6	ओवरहैड साईनेज (गैन्ट्री)	—	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	पोर्टल पर संलग्न सूची अनुसार	
7	निर्मित बसशैल्टर्स (रोड़ वाईज)	—	19 (जे.एल.एन.मार्ग-15)	78,68,452	
			एम.आई.रोड़-4	20,49,664	
8	निर्मित सुलभ शौचालय	—	ग्रुप वाईज -14		
			(ग्रुप-ए-5)	5,50,000	
			(ग्रुप-बी-6)	12,50,000	
			(ग्रुप-डी-3)	7,70,658	
9	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	लम्बाई 40 इंच चौड़ाई 30 इंच	01 जोन कियोस्क बोर्ड पूर्व हवामहल जोन, ब्लॉक-एफ	15,50,340	
10	टोक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास फ्लाईओवर के खंभे (समूह में 30 खंभे)	8'x4'	30 खंभे	24,21,210	

(1) ई-नीलामी के समय संबंधी शर्तें :-

- A. ई-नीलामी का निर्धारित समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगा। ई-नीलामी की प्रक्रिया में आवेदन/फर्म द्वारा बोली लगाये जाने पर ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी जिसकी अधिकतम समय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

Signature valid



Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 18:15:55 IST
Reason: Approved

- B. ई-नीलामी में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या/बाधा आने पर समस्या के निस्तारण हेतु नगर निगम के एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उनके प्रतिनिधि से दूरभाष नं. 8875403031, 6377142055 पर संपर्क किया जा सकता है। जिसके पश्चात् भी तकनीकी समस्या का निवारण नहीं होने की स्थिति संबंधित ई-नीलामी विज्ञापन साइट के संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम स्तर से किया जा सकेगा।

(2) ऑनलाईन अमानता राशि/धरोहर राशि संबंधी शर्तें :-

- A. ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) संबंधी विज्ञापन साइटों हेतु नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता राशि 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हेड साईनैज निगम कोष में जमा करानी होगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म से प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त संबंधित को स्वीकृत बोली राशि की दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कोष में जमा करानी होगी। इसके साथ ही उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि 25,000/- रुपये का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जायेगा एवं इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा जमा कराई जाने वाली 5 प्रतिशत धरोहर राशि को लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- B. यूनिपोल विज्ञापन साइटों संबंधी प्रत्येक यूनिपोल साइट (साईज 16'X8') के लिए रुपये 30,000/- (तीस हजार रुपये) तथा प्रत्येक यूनिपोल साइट (साईज 30'X15') के लिए 50,000/- रु. (पचास हजार रुपये) बतौर अमानता ऑनलाईन नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- C. निर्मित सुलभ शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्श करने एवं उनका संधारण करने संबंधी विज्ञापन साइट के लिए (ग्रुप वाईज) नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता रुपये 30,000/- अक्षरे (तीस हजार रुपये मात्र) प्रति ग्रुप निर्मित शौचालय पर निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- D. निर्मित ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (13 विज्ञापन साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 5,00,000/- रु. (अक्षरे पाँच लाख रुपये) एवं नये ट्रेन्सलाईट बैकलिट टॉवर 6 मीटर (9 विज्ञापन साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 3,00,000/- रु. (अक्षरे तीन लाख रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- E. निर्मित बसशैल्ड्स विज्ञापन साइटें (रोड वाईज समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 25,000/- रु. (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- F. निर्मित डिजिटल यूनिपोल (14 विज्ञापन साइटें समूह में) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में राशि 5,00,000/- रु. (अक्षरे पाँच लाख रुपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।
- G. टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभे समूह में 30 खंभों के लिए खंभों के लिए 1,00,000/- रुपये बतौर अमानता के रूप में ऑनलाईन नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जावेगी। शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
- H. कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) (जो नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाए जा सकते हैं) के लिए नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को ऑनलाईन अमानता के रूप में प्रति जोन 10,000/- रुपये जमा करानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar

Sharma, Designation: Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:15:55 IST

Reason: Approved

रूपये) निगम कोष में जमा करानी होगी एवं उच्चतम बोली स्वीकृत राशि में ऑनलाईन जमा अमानता राशि का बोलीदाता की 1/4 राशि में नगर निगम द्वारा समायोजन किया जावेगा तथा प्रथम बोली स्वीकृत होने तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जायेगी।

I. आगामी ई-ऑक्शन में प्रत्येक विज्ञापन साइट पर बोलीदाता द्वारा बोली राशि लगाने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	न्यूनतम शुरूआती बोली राशि	फर्मों द्वारा एक बार में बोली में वृद्धि किये जाने वाली न्यूनतम राशि
1	10 लाख रुपये से कम के ई-ऑक्शन साइट हेतु	01 हजार रुपये की बढ़ोतरी
2	10 लाख से 01 करोड़ रुपये तक के ई-ऑक्शन साइट हेतु	10 हजार रुपये की बढ़ोतरी
3	01 करोड़ रुपये से अधिक के ई-ऑक्शन साइट हेतु	50 हजार रुपये की बढ़ोतरी

(3) लाईसेंस समयावधि एवं नवीनीकरण शर्त :-

- उपर्युक्त सभी विज्ञापन स्थलों की नीलामी एवं लाईसेंस अवधि मात्र 01 वर्ष तक के लिए की जावेगी।
- सफल बोलीदाता फर्मों द्वारा 01 वर्ष की अवधि नियम संगत एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर फर्मों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत विज्ञापन साइटों के नवीनीकरण चाहने तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के भी सहमत होने पर स्वीकृत साइटों के लाईसेंस की अवधि 01-01 वर्ष के लिए दो बार (1+2) वर्ष बढ़ाई जा सकती है अर्थात् लाईसेंस समयावधि अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकेगी।
- स्वीकृत लाईसेंस स्थलों का नवीनीकरण करते समय पहले वर्ष लाईसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष लाईसेंस शुल्क में भी 10 प्रतिशत राशि वृद्धि करके ही स्वीकृति दी जावेगी।

(4) स्वीकृत बोली राशि जमा कराने एवं अनुज्ञापत्र जारी करने की शर्त :-

- ई-ऑक्शन में नीलामी के माध्यम से स्वीकृत विज्ञापन साइटों हेतु उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के उपरांत नगर निगम आगामी कार्य दिवस में स्वीकृत बोली राशि की 1/4 राशि बोली समाप्ति के 24 घंटे के भीतर ऑनलाईन/ऑफलाईन नगर निगम कोष में जमा करानी होगी। इस 1/4 राशि को निर्धारित समयावधि में जमा नहीं कराने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई हुई समस्त राशि को जब्त कर लिया जावेगा तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि का मौका दिया जावेगा। द्वितीय बोलीदाता के असफल रहने पर पुनः नीलामी की जावेगी तथा उपरोक्तानुसार 1/4 राशि जमा कराने में असफल रहे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य (ब्लैकलिस्ट) घोषित कर दिया जावेगा।
- ई-ऑक्शन में नीलामी के माध्यम से फर्मों को स्वीकृत की गई विज्ञापन साइटों की 1/4 राशि जमा कराने के पश्चात् नगर निगम द्वारा उच्चतम बोलीदाता को संबंधित विज्ञापन साइटों हेतु अस्थायी लाईसेंस शुल्क तथा शेष 3/4 राशि का मांग-पत्र जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि जमा एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी.राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।
- निगम द्वारा लाईसेन्सी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटि रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटि को लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी।
- स्वीकृत बोलीदाता द्वारा आगामी वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं नगर निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।
- स्वीकृत बोलीदाता द्वारा आगामी वर्ष के लिए द्वितीय नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं नगर निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की जी.एस.टी. राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा जी.एस.टी. जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।
- उक्त विज्ञापन स्थलों की समयावधि समाप्त होने पर नवीन निविदा में निविदा देने की स्थिति में नगर निगम द्वारा जमा की राशि का विज्ञापन लाईसेंस को नगर निगम द्वारा एक-एक माह के लिये अतिरिक्त किया जा सकेगा, इस पर नगर निगम की अधिकतम सीमा निर्धारण का अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का होगा।

Signature Valid

Digitally signed by Ashok Kumar Sharma

Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 18:15:55 IST
Reason: Approved

(5) विज्ञापन साईटों की स्थापन, रख-रखाव एवं हटाने की सामान्य शर्तें :-

- A. नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्राधिकार में विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे।
- B. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साईट की राशि नीलामी शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर नगर निगम द्वारा बोलीदाता को साईट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार ही साईट प्लान सहित जारी किया जायेगा जिस पर ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जावेगा।
- C. ई-ऑक्शन में नीलामी के माध्यम से फर्मों द्वारा ली गई विज्ञापन साईटों पर एक तरफ ही विज्ञापन प्रदर्श किया जा सकेगा। विज्ञापन साईटों को लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा।
- D. फर्मों द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से ली गई विज्ञापन साईटों पर अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। फर्मों द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से ली जाने वाली विज्ञापन साईटों पर किसी भी धर्म/समुदाय/समाज की भावनाओं को आहत करने वाले विज्ञापन प्रदर्श नहीं किये जायेंगे।
- E. विज्ञापन साईट लगाने या न लगाने के संबंध में किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर विज्ञापन साईट नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबंधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा।
- F. नगर निगम साईट लगाने में सहयोग करेगा एवं साईट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि विज्ञापन साईट लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ विज्ञापन साईट अवैध माना जावेगा जिसे नगर निगम द्वारा हटवा दिया जावेगा।
- G. विज्ञापन साईट संबंधी स्ट्रक्चर लगाते या उतारते समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य साईट्स को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- H. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना विज्ञापन साईट नहीं लगायेगा। विज्ञापन साईट अनुज्ञापत्रधारी या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं, द्वारा विज्ञापन साईट नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के विज्ञापन साईट को बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को हटाये जाने का अधिकार होगा।
- I. अगर कोई विज्ञापन साईट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

(6) विज्ञापन साईट स्थापन, रख-रखाव एवं हटाने की शर्तें :-

यूनिपोल साईट 30'x15' एवं 16'x8' हेतु विशेष शर्तें :-

- (i) संबंधित फर्म/व्यक्ति को लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्च पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रु. 30,000/- एवं 30'X15' के यूनिपोल के लिये रु. 60,000/- हर्जा-खर्चा वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (ii) यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साईट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
- (iii) जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम को प्राप्त करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
- (iv) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल साईट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। इसका न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar, DN: cn=Ashok Kumar, o=Nagar Nigam, ou=Jaipur, c=IN
Date: 2025.08.14 18:15:55 IST
Reason: Approved

वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनियोपल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

- (v) अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनियोपल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनियोपल नीचे नहीं गिरे। यूनियोपल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनियोपल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यूनियोपल साइटों की एकरूपता एवं सौन्दर्य का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावेगा।

(7) ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) साईट हेतु विशेष शर्त :-

- (i) ओवर हैड साईनैज पर लगे दिशा सूचक साईनैज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनैज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी। निर्मित ओवर हैड साईनैज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जासकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
- (ii) बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
- (iii) ओवर हैड साईनैज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। इस सम्बन्ध में नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनैज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा यदि ऐसा है तो उसे तुरंत हटाया जावेगा एवं नहीं हटाने पर नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री नीचे नहीं गिरे। ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवरहेड साईनैज गैन्ट्री साईटों की एकरूपता एवं सौन्दर्य का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावेगा।
- (v) लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनैज की पूर्ण देखरेख व रख-रखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनैज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनैज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनैज का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ओवर हैड साईनैज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
- (vi) जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनैज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनैज शिफ्ट करना होगा।

(8) कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) हेतु विशेष शर्त :-

- (i) प्रत्येक कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा विलप लगाकर खम्बे के दोनों ओर कियोस्क बोर्ड लगाये जा सकेंगे। कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।
- (ii) खम्बों पर कियोस्क बोर्ड विधुत चलित कम्प्यूटराइज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।
- (iii) जिन मार्गों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन पर एक तरफ खम्बे सड़क के बीच में लगे जाते हैं तो सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। जिन मार्गों पर जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये हैं उन पर ही लाईसेन्सी को विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। जो मार्गों पर खम्बे दोनों ओर लगे हुये हैं तो उन पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति होगी। किसी भी स्थिति में अथवा अस्थायी पोल पर कियोस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी।

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Sharma
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 18:15:55 IST
Reason: Approved

- बी.आर.टी.एस. रोड़ की ओर लगे विद्युत पोलों (बीच में लगे हुए) पर विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड़ के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विद्युत पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।
- (iv) खम्बों पर कियोस्क सड़क/डिवाइडर की सतह से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्भे पर आगे-पीछे कुल दो विज्ञापन कियोस्क बोर्ड लगाए जायेंगे।
- (v) कियोस्क बोर्ड लाईसेन्सी को स्वयं के खर्चे पर लगाने होंगे तथा लाईसेन्सी की सम्पत्ति होगी एवं कियोस्क खम्बों पर एकरूपता से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि खत्म होने पर 3 दिवस में कियोस्क हटाने होंगे अन्यथा हटाने का खर्चा लाईसेन्सी से अमानता में से वसूला जावेगा।
- (vi) लाईसेन्सी जो कियोस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगावेगा उसके चोरी हो जाने, गुम हो, जाने व खम्बों की संख्या कम हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम ग्रेटर, जयपुर का कोई दायित्व नहीं होगा।
- (vii) जे.एल.एन. मार्ग (रामनिवास बाग गेट से पत्रिका गेट तक) के बिजली के खम्भों एवं रामबाग सर्किल से गांधी नगर मोड़ होते हुए गांधी सर्किल तक कोई कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे। इसके साथ ही सहकार सर्किल से बाईस गोदाम पुलिया एवं भवानी सिंह रोड़ भारत जोड़ो सेतु फ्लाईओवर पर एवं पांच बत्ती भगवान दास रोड़, जनपथ से विद्यानसभा तक भी पोल कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे। घाट की गुणी टनल में कोई भी कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त चारदीवारी परकोटा क्षेत्र में कोई कियोस्क बोर्ड नहीं लगाये जायेंगे।

(9) निर्मित सुलभ शौचालय हेतु विशेष शर्त :-

- (i) लाईसेन्स अवधि में निर्मित शौचालयों के संधारण, पूर्ण देखरेख व रखरखाव की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रेचर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
- (ii) निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूनिट व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरुस्त हालत में रखना होगा। कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी। निर्मित सुलभ शौचालयों विज्ञापन साइटों की एकरूपता एवं सौन्दर्य का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे।
- (iii) लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन उपायुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नहीं होगा।
- (v) निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिट का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
- (vi) निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टॉयलेट की सफाई, यूनिट फर्श व दीवारें, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए फिनाईल, नेपथीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टॉयलेट में साबुन, टॉवल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। उपायुक्त (राजस्व), उपायुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500/- रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
- (vii) निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित ले जाने की व्यवस्था अनिवार्य होगा।
- (viii) फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों में विज्ञापन, पोस्टर, स्टैच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी।
- (ix) निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल

Signature valid

Digitally signed by Ashish Kumar
Name
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.08.14 18:15:55 IST
Reason: Approved

- (x) लाईसेंस किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी फर्म को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- (xi) लाईसेंस/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा।
- (xii) बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को होगा।

(10) निर्मित डिजिटल यूनिपोल पर विज्ञापन करने हेतु विशेष शर्त :-

- (1) सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 14 निर्मित डिजिटल यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंस को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। निर्मित डिजिटल यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर डिजिटल बोर्ड का प्रदर्शित करना होगा। जिसमें समय, दिनांक, वार एवं तापमान दिखाया जाना आवश्यक होगा। बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा एवं प्रत्येक डिजिटल यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर डिजिटल यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा हटाया जा सकेगा।

(11) निर्मित बसशैल्टर्स पर विज्ञापन करने हेतु विशेष शर्त :-

- (1) बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर्स पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंस की होगी, यदि लाईसेंस द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते हैं तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्जा-खर्चा लाईसेंस को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्जा-खर्चा तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानता राशि में से कटौती कर ली जायेगी।

(12) टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभे समूह में 30 खंभों पर विज्ञापन करने हेतु विशेष शर्त :-

- (1) टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर 8'x4' की 30 साइटों पर विज्ञापन किया जा सकेगा लेकिन यह लाईसेंस का यह दायित्व रहेगा कि स्वीकृत खंभों के अतिरिक्त अन्य खंभों पर विज्ञापन नहीं किया जावे एवं अन्य किसी को भी विज्ञापन नहीं करने देंगे। अवैध बैनर, पोस्टर, वालपेंटिंग भी नहीं होने देंगे किसी के द्वारा उक्त के तरह अथवा अन्य तरह से अवैध विज्ञापन करने पर लाईसेंस द्वारा अवैध विज्ञापनों को हटवाया जावेगा/खंभों को पुतवाया जावेगा। खंभों को मूल स्वरूप में रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंस की ही होगी। विज्ञापन बोर्डों की सुरक्षा एवं संधारण की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंस की होगी।

- (2) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर सीमा क्षेत्र में लगे टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर 8'x4' की 30 साइटों पर विज्ञापन किया जा सकेगा। निर्धारित स्थल पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंस को अधिकार होगा। नगर निगम जयपुर विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित साइट से अधिक विज्ञापन नहीं किया जा सकेगा। टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर 8'x4' की 30 साइटों पर निर्धारित स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।

- (3) जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर 8'x4' की 30 साइटों पर विज्ञापन करने से पूर्व डिजाइन व स्पेशिफिकेशन कनिष्ठ अभियंता होर्डिंग, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से स्वीकृत करवाना होगा तत्पश्चात् ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।

- (4) बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर समूह में 8'x4' की 30 साइटों नहीं लगायेगा। टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर समूह में 8'x4' की 30 साइटों के अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। टॉक रोड, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर समूह में 8'x4' की 30 साइटों की नीलामी शर्तों, उपविधियों को उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभों पर 8'x4' की 30 साइटों के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Ashok Kumar
 Designation: Deputy Commissioner
 Date: 2025.08.14 18:15:55 IST
 Reason: Approved

स्थिति में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटें बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

- (5) लाईसेंस अवधि समाप्ति पर टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटें नहीं हटाने पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा हटवाया जावेगा जिसका हर्जा-खर्चा संबंधित फर्म से वसूल किया जावेगा।
- (6) बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटों पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साईट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटों को बिना किसी सूचना के नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटों पर फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
- (7) अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटों को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में नये लघु विज्ञापन बोर्ड (यूनिपोल) 8'x4' नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटों की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटें गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। टॉक रोड़, गोपालपुरा फ्लाईओवर के नीचे चौराहे के आस-पास, फ्लाईओवर के खंभो पर समूह में 8'x4' की 30 साईटों की एकरूपता एवं सौन्दर्यता का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे।

विज्ञापन साईटों के संबंध में सामान्य एवं विशेष शर्तें :-

1. उपरोक्त शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
2. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
3. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।
4. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
5. लाईसेंस समाप्ति पर निर्मित विज्ञापन साईटें नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को संभलानी होगी तथा निर्मित विज्ञापन साईटें के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर निर्मित विज्ञापन साईटें अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से निर्मित विज्ञापन साईटें का नगर निगम को भुगतान करना होगा। प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य होगा।
6. अनुज्ञापत्र अधिकारी के आदेश/निर्देश की अपील आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को हो सकेगी।
7. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
8. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यदि कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाता है अथवा भविष्य में देय हो तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा।

Signature valid

उपायुक्त (राजस्व प्रथम) लाईसेंसिंग ऑथोरिटी

Digitally signed by Ashok Kumar

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.08.14 18:15:55 IST

Reason: Approved